न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 18/2024 FSSA

1. सरकार जरिये श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री आस मोहम्मद पुत्र श्री सली खान निवासी ईसरपुर, बनावड, मण्डावर
एफबीओ मैसर्सः—आस मोहम्मद दूध सप्लाई, ईसरपुर बनावड, मण्डावर

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— **24.04.2024**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रकाश चन्द सैनी ने दिनांक 17.10.2023 को प्रातः 09:45 बजे मैसर्स आस मोहम्मद दूध सप्लाई, ईसरपुर बनावड, मण्डावर दौसा देव रेस्टोरेन्ट स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दूध विक्रेता श्री आस मोहम्मद पुत्र श्री सली खान निवासी ईसरपुर, बनावड, मण्डावर उपस्थित मिला। दूध विक्रेता श्री आस मोहम्मद को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण आवेदन पत्र होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर दो एलुमीनियम के कैनो में लगभग 100 लीटर मिश्रित दूध आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर एक कैन में से नमूने की जांच हेतु 2 लीटर मिश्रित दूध अच्छी तरह से हिलामिलाकर एक साफ सुखे व खाली बर्तन में खरीदा, जिसकी कीमत 120 रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रित दूध को डिजीटल वेट मशीन से तौलकर 500—500 मिलीलीटर चार साफ सुखी व खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर चारो बोतलों में 40—40 बून्दे प्रिजरवेटिव फार्मलीन की डालकर ढक्कन लगाकर बन्द किया। उक्त चार नमूने तैयार करके चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर नमूनों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG**—3975 गोंद से चिपकाकर नमूनों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनों को चार—चार जगह चपडी से सील मोहर कर नमूनों पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद भाग एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद भाग व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 18.10.2023 को खाद्य विश्लेषक [illegible] अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द भाग व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.10.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद भाग व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 18.10.2023 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.30 11:25:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला (**Mixed Milk Loose**) का नमूना खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1906/एक्ट/2023/1828 दिनांक 27.10.2023 के अनुसार अमानक (**SubStandard**) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त नियत तारीख पेशी पर स्वयं उपस्थित आया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1906/एक्ट/2023/1828 दिनांक 27.10.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला (**Mixed Milk Loose**) के नमूने में मिल्क फैट की मात्रा 4.20 प्रतिशत पाई गई है, जो कि तय मानको के अनुसार कम से कम 4.50 प्रतिशत होनी चाहिये थी। मिल्क फैट की मात्रा तय मानको से कम पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक (**SubStandard**) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक (**SubStandard**) स्तर के खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला (**Mixed Milk Loose**) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला (**Mixed Milk Loose**) में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। हमारे द्वारा पशुपालको से दूध क्रय किया जाकर ग्राहको को विक्रय किया जाता है। जांच रिपोर्ट में उक्त दूध के नमूने में मिल्क फैट की मात्रा खाद्य सुरक्षा अधिनियम में तय मानको से थोडी सी कम आने के कारण ही यह नमूना अमानक (**SubStandard**) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाये जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /1906/एक्ट/2023/1828 दिनांक 27.10.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला (**Mixed Milk Loose**) का नमूना अमानक (**SubStandard**) स्तर का पाया गया है। उक्त नमूना मिश्रित दूध के लिये निर्धारित शुद्धता मानको के अनुरूप नहीं होने से एफएसएसए धारा 26 की उप धारा (**II**) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (**SubStandard**) स्तर के खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला (**Mixed Milk Loose**) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री आस मोहम्मद पुत्र श्री सली खान निवासी ईसरपुर, बनावड, मण्डावर एफबीओ मैसर्सः–आस मोहम्मद दूध सप्लाई, ईसरपुर, बनावड, मण्डावर जिला दौसा पर 40,000/–रूपये (अक्षरे चालीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 24.04.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (**Chief Medical & Health Officer Dausa**) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक / **FSSA**/ दिनांकः– 24.04.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री आस मोहम्मद पुत्र श्री सली खान निवासी ईसरपुर, बनावड, मण्डावर एफबीओ मैसर्सः–आस मोहम्मद दूध सप्लाई, ईसरपुर बनावड, मण्डावर जिला दौसा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.30 11:25:59 IST
Reason: Self Attested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा